न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

M. Rev.Case No.-06/2022-23

हरिनन्दन कुमार
बनाम
कृष्ण नन्दन कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजन वाद, रिविजनकर्त्ता हरिनन्दन कुमार, पिता–स्व0 श्री प्रकाश कुमार, सा0–हरिणडांगा बाजार, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–03/2021–22 में दिनांक–04.08.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) कृष्ण नन्दन कुमार, पिता–स्व0 श्री प्रकाश कुमार, सा0–हरिणडांगा बाजार, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ (2) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ एवं (3) अंचल अधिकारी, पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल पाकुड़ के मौजा–पाकुड़ नं0–128 के जमाबंदी सं0–10 के दाग सं0–1859 अन्तर्गत आंशिक रकवा 00–03–08½ धुर जमीन का नामान्तरण अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–808/2012–13 में दिनांक–09.01.2013 को पारित आदेश द्वारा कृष्ण नन्दन कुमार, पिता–स्व0 प्रकाश कुमार (इस वाद के विपक्षी सं0–01) के पक्ष में किया गया। उक्त नामान्तरण वाद में दिनांक–09.01.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध हरिनन्दन कुमार (इस वाद के रिविजनकर्त्ता) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय (आगे से निम्न न्यायालय लिखा जाएगा) में अपील आवेदन दाखिल किया, जिसके आधार पर राजस्व विविध वाद सं0–03/2021–22 संस्थित किया गया। अपील वाद में दिनांक–04.08.2022 को पारित आदेश द्वारा अपील आवेदन को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ के आदेश को बरकरार रखा गया। यह रिविजन वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–1859 अन्तर्गत खरीदा गया कुल रकवा 00–09–13 धुर भूमि है, जबकि कुल 00–09–17 धुर भूमि पर दखल–कब्जा है। उक्त 00–09–13 धुर भूमि रिविजनकर्त्ता की माता दमयंती देवी द्वारा निबंधित विक्रय

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	केवाला सं0–791 एवं 792, दिनांक–11.07.2000 द्वारा क्रय किया गया था। उक्त भूमि का आपसी पारिवारिक बंटवारा दिनांक–07.10.2011 को दमयंती देवी के तीन पुत्रों शंभू नन्दन कुमार, कृष्ण नन्दन कुमार एवं हरिनन्दन कुमार के बीच हुआ, जिसमें शम्भू नन्दन कुमार को 00–03–01 धुर, कृष्ण नन्दन कुमार को 00–03–12½ धुर एवं हरिनन्दन कुमार को 00–03–03½ धुर जमीन प्राप्त हुआ। कृष्ण नन्दन कुमार को दिए गए रकवा में 4 धुर भूमि कृष्ण नन्दन कुमार एवं हरिनन्दन कुमार के भूमि के बीच गली के लिए थी। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा गलत तरीके से केवल 00–03–08½ धुर भूमि का ही नामान्तरण किया गया, जबकि बंटवारा में 00–03–12½ धुर भूमि कृष्ण नन्दन कुमार (इस वाद के विपक्षी सं0–01) को प्राप्त हुआ था। निम्न न्यायालय में विपक्षी सं0–01 द्वारा दाखिल आवेदन में डीड सं0, आवेदन की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। बंटवारा में 00–03–12½ धुर भूमि विपक्षी सं0–01 को प्राप्त हुआ, परन्तु निबंधित केवाला सं0–4994, दिनांक–22.12.2012 में केवल 00–03–08½ धुर भूमि का ही निबंधन किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल–खारिज वाद सं0–808/2012–13 में वाद प्रारम्भ करने की तिथि 20.12.2012 है, जबकि निबंधित केवाला के निबंधन की तिथि 22.12.2012 है। दो दिन पूर्व ही अभिलेख प्रारम्भ किया जाता है, जो नियमानुसार गलत है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया। विपक्षी सं0–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग में कुल 00–09–13 धुर भूमि उनकी माता दमयंती देवी द्वारा क्रय की गई थी। क्रय करने के बाद वर्ष 2012 में दमयंती देवी द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–4994, दिनांक–22.12.2012 के द्वारा विपक्षी सं0–01 को रकवा 00–03–08½ धुर भूमि बेच दिया गया। क्रय करने के बाद विपक्षी सं0–01 द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण भी विधिवत किया जा चुका है। रिविजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत बंटननामा फर्जी है। इसमें दमयंती देवी का कहीं भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है न ही इस कागज पर कहीं भी यह लिखा है कि यह पारिवारिक बंटननामा है। ऐसे भी तथाकथित बंटननामा वर्ष 2011 का बताया गया है, जबकि भूमि की मालिक द्वारा स्वयं वर्ष 2012 में विपक्षी सं0–01 को भूमि का विक्रय किया गया है। उक्त तथाकथित बंटननामा अनिबंधित है, अतः इसकी कोई मान्यता कानून में नही है। अंचल अधिकारी द्वारा विधिवत दाखिल–खारिज किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत खाता सं0–1869 अन्तर्गत रकबा 00–09–13 धुर भूमि दमयंती देवी (रिविजनकर्त्ता एवं विपक्षी सं0–01 की माता) द्वारा निबंधित केवाला सं0–791 एवं 792 दिनांक–11.07.2000 द्वारा क्रय किया गया था। क्रय करने के बाद उनके द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–4994, दिनांक–22.12.2012 द्वारा अपने पुत्र कृष्ण नन्दन कुमार को रकबा 00–03–08½ धुर भूमि बेच दिया गया। जब भूमि की मालिक द्वारा ही भूमि का विक्रय कर दिया गया तब भाईयों के बीच अनिबंधित पारिवारिक बंटनवारा का कोई औचित्य नहीं है। उक्त बंटनवारा में न तो दमयंती देवी का हस्ताक्षर/टिप निशान है और न ही कहीं अंकित है कि यह पारिवारिक बंटनवारा है। अतः इस अनिबंधित सादे कागज पर बने पारिवारिक बंटनवारा का कानून की नजर में कोई मान्यता नहीं है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा उक्त निबंधित विक्रय केवाला सं0–4994, दिनांक–22.12.2012 के आधार पर 00–03–08½ धुर भूमि का नामान्तरण कृष्ण नन्दन कुमार के पक्ष में किया गया है। जहां तक प्रश्न निबंधित केवाला सं0–4994 के क्रय तिथि 22.12.2012 एवं दाखिल खारिज वाद सं0–808/2012–13 के प्रारंभ करने की तिथि 20.12.2012 का है तो यह एक लिपिकीय त्रुटि है, जिससे वाद के मेरिट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है। यदि रिविजनकर्त्ता को उक्त निबंधित विक्रय केवाला से कोई आपत्ति है तो उन्हें सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिविजन आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

21-02-24
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

22-02-24
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

26/03/2024

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 11:01:00 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner